



Email id- admin.hda@gmail.com

info@onlinehrda.com

Phone no- 01334-220800

कार्यालय: हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।

पत्रांक: 5065

प्रशा02(क)22 / 97 / 2025.26

दिनांक 29/12/2025

शुद्धिपत्र

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की ओर से प्राधिकरण में वर्ष-2026-27 हेतु स्टेशनरी सामग्री की आपूर्ति किये जाने के कार्य हेतु ऑफलाईन निविदा बन्द पेटी के माध्यम से दिनांक 30.12.2025 अपराह्न 2:00 बजे में ऑफलाईन निविदा आमंत्रित की गयी है। उक्त कार्य की शर्तों में निम्नवत् संशोधन किया जाता है:-

क्रमांक	पूर्व शर्त	संशोधित
01	कार्य हेतु निविदा का विक्रय दिनांक 29.12.2025 अपराह्न 1:00 बजे तक किया जाना था। निविदा दिनांक 30.12.2025 में अपराह्न 2:00 बजे तक आमंत्रित की गयी थी।	कार्य हेतु निविदा का विक्रय दिनांक 05.01.2026 अपराह्न 1:00 बजे तक किया जाता है। निविदा दिनांक 06.01.2026 में अपराह्न 2:00 तक आमंत्रित की जाती है।
02	फर्म/ठेकेदार के पास सरकारी/अर्द्धसरकारी/पी0एस0यू0 में स्टेशनरी सामग्री आपूर्ति का 80 प्रतिशत की धनराशि (जी0एस0टी0 सहित) का कम से कम एक कार्य का अनुबन्ध अथवा निविदा लागत के 50-50 प्रतिशत धनराशि के दो कार्य अनुबन्ध अथवा 40-40 प्रतिशत से अधिक धनराशि के तीन कार्य अनुबन्धों का सफलतापूर्वक निष्पादन किया हो का Work Done Completion Certificate प्रस्तुत करना होगा। पैन कार्ड की प्रति प्रस्तुत/संलग्न करना होगा।	फर्म/ठेकेदार के पास सरकारी/अर्द्धसरकारी/पी0एस0यू0 में स्टेशनरी सामग्री आपूर्ति का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
03	निविदादाता को सी0ए0 द्वारा सत्यापित पिछले 03 वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 का टर्नओवर पृथक शीट में संलग्न करना होगा। उक्त तीनों वर्षों का औसत टर्नओवर निविदा लागत के 100 प्रतिशत के बराबर/अधिक होना चाहिये।	निविदादाता को सी0ए0 द्वारा सत्यापित पिछले 03 वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 का टर्नओवर पृथक शीट में संलग्न करना होगा। उक्त तीनों वर्षों का औसत टर्नओवर निविदा लागत के 50 प्रतिशत के बराबर/अधिक होना चाहिये।

अधीक्षण अभियन्ता,
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार।

प्रतिलिपि:-

1. उपाध्यक्ष महोदय सादर अवलोकनार्थ।
2. निविदा समिति/संबंधित तकनीकी स्टाफ को सूचनार्थ।
3. श्री संदीप डा0ए0ओ0 को इस निर्देश के साथ की शुद्धिपत्र वेबसाईट www.onlinehrda.com पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता